

# एपीएनआईसी 48 में समुदाय द्वारा चर्चा के लिए पाँच नीति प्रस्ताव

एपीएनआईसी 48 में [खुली नीति बैठक](#) 12 सितंबर 2019 को चियाँग मार्ड, थाईलैंड में आयोजित की जाएगी। चर्चा के लिए पाँच प्रस्तावों का सार-संक्षेप नीचे दिया गया है।

## एपीएनआईसी 47 से चर्चा के तहत

### [प्रॉप-124-v006: उप-एसाइनमेंट का स्पष्टीकरण](#)

यह प्रस्ताव [एपीएनआईसी इंटरनेट संख्या संसाधन नीतियाँ](#) दस्तावेज़ के खण्ड 2.2.3 के तहत आईपीवी4/आईपीवी6 आवंटनों के लिए नियोजित की गई एट्रेस स्पेसिज़ की परिभाषा को स्पष्ट करता है।

जब नीति का मसौदा तैयार किया गया था, तो एसाइनमेंट/उप-एसाइनमेंट की अवधारणा में आईपीवी4 में बहुत सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली कार्यप्रथा पर विचार नहीं किया गया था, जिसे आईपीवी6 में शामिल किया गया है और यहाँ तक कि प्रवर्धित भी किया गया है - पॉइंट-टु-पॉइंट लिंकों या वीपीएन के लिए आईपी पत्तों का प्रयोग।

इस संबंध में यह प्रस्ताव स्थिति को स्पष्ट करता है और अवधारणा को बेहतर ढंग से परिभाषित करता है, विशेष रूप से आईपीवी6 ([आरएफसी 8273](#)) के नए उपयोगों पर विचार करते हुए, जिसमें एसाइनमेंट की परिभाषा में अतिरिक्त पाठ्यांश जोड़ा गया है।

### [प्रॉप-126-v004: पीडीपी अपडेट](#)

यह प्रस्ताव [एपीएनआईसी नीति विकास प्रक्रिया](#) (पीडीपी) दस्तावेज़ की धारा 4 के लिए अद्यतन सुझाव देता है।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य सर्वसम्मति निर्धारित करने के लिए मेलिंग सूची में टिप्पणियों पर विचार करके सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है। इसलिए, मेलिंग सूची और खुली नीति में चर्चाओं को संतुलित करके सर्वसम्मति मापी जाएगी। समुदाय को ओपीएम और एएमएम में सर्वसम्मति-प्राप्त प्रस्ताव पर टिप्पणी करने का अंतिम अवसर देने के लिए मेलिंग सूची के माध्यम से एक 'अंतिम कॉल' भी दी जाएगी।

यह प्रस्ताव एसआईसी नीति और एपीएनआईसी सदस्य बैठक में आवश्यक 'दोहरी' सर्वसम्मति को हटाने का सुझाव और सर्वसम्मति की परिभाषा को 'सामान्य सर्वसम्मति' ('general consensus') से 'प्रमुख सर्वसम्मति' ('rough consensus') में संशोधित करने का प्रस्ताव भी देता है, जिसमें 'प्रमुख सर्वसम्मति' ('rough consensus') की संपूर्ण परिभाषा भी शामिल है।

अंत में यह प्रक्रिया के दौरान असहमति के प्रकरणों का समाधान करने के लिए एक अपील प्रक्रिया शामिल करके पीडीपी में परिवर्तन भी करता है।

## नए प्रस्ताव

### [प्रॉप-130-v001: स्थानांतरण नीतियों में संशोधन](#)

इस प्रस्ताव का उद्देश्य मौजूदा स्थानांतरण नीतियों को आंशिक या संपूर्ण व्यावसायिक विलय, अधिग्रहण, पुनर्गठन या स्थानांतरण से इंटर और इंटर-आरआईआर, इन दोनों स्थानांतरणों के प्रकरणों की अनुमति देना है। वर्तमान में इंटर-आरआईआर स्थानांतरण केवल आपीवी4 पत्तों और एस संख्याओं के स्थानांतरण की अनुमति देता है, लेकिन इस प्रस्ताव का उद्देश्य आईपीवी6 पते भी शामिल करना है।

### [प्रॉप-131-v001: आईपीवी6 नीति में संपादकीय परिवर्तन](#)

यह प्रस्ताव आईपीवी6 नीति में कई संपादकीय परिवर्तनों का सुझाव देता है। इसका उद्देश्य अनावश्यक पाठ्यांशों को हटाना और नीति को सरल बनाना है।

## **प्रॉप-132-v002: बोगन्स के लिए एस0**

यह प्रस्ताव बोगन घोषणा का मुद्दा हल करने के लिए एपीएनआईसी को एपीएनआईसी के अनावंठित एड्रेस स्पेस के लिए एस0 (शून्य) आरओए बनाने का अधिकार देता है। एपीएनआईसी प्रशासन के तहत अनावंठित एड्रेस स्पेस के लिए एस0 आरओए बना दिए जाने के बाद यदि कोई उसी एड्रेस स्पेस का विज्ञापन देने का प्रयास करता है, तो उसे 'अमान्य' ('invalid') चिह्नित किया जाएगा।

वर्तमान में कोई भी आरओए न होने के कारण इन बोगन्स को 'नहीं मिला' ('not found') के रूप में चिह्नित किया जाता है। यदि किसी ऑपरेटर ने आरओवी लागू किया है और वह 'अमान्य' आरओए को हटाने की योजना बना रहा है या पहले से ही इन्हें हटा रहा है, तो एपीएनआईसी प्रशासन के तहत अनावंठित एड्रेस स्पेस के लिए बनाए गए सभी एस0 आरओए भी हटा दिए जाते हैं।

## **भाग लें! अपनी बात सामने रखें**

अच्छी नीति समुदाय के विभिन्न हिस्सों के लोगों की राय पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। इन्हें परामर्श और सर्वसम्मति की एक खुली, पारदर्शी और नीचे से ऊपर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया जाता है।

इन नीति प्रस्तावों के बारे में अपनी बात सामने रखने के लिए नीति की एसआईजी [मेलिंग सूची](#) के सदस्य बनें या [एपीएनआईसी 48 नीति की एसआईजी](#) बैठक में व्यक्तिगत या दूरस्थ रूप से भाग लें।